

टिप्पणी : आपका दाखिला अस्थायी है। यदि बाद में कभी यह पाया गया कि पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अच्छी तरह जाँच करके यह देख लें कि आप पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

अनुदेश :

1. उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए केवल प्रवेश-पत्र में उल्लिखित केन्द्र पर ही प्रविष्ट किया जाएगा। किसी अन्य केन्द्र पर नहीं।
2. आयोग द्वारा जारी किये गये वैध प्रवेश-पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में दाखिल नहीं किया जाएगा।
3. परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में दाखिल नहीं किया जाएगा।
4. उम्मीदवार परीक्षा-कक्ष में अपने प्रवेश-पत्र की अलावा और कोई कागज़ आदि न लायें। यदि कोई उम्मीदवार कोई अनुचित तरीका अपनाते हुए या अपनाते का प्रयास करते हुए पाया गया तो वह ऐसे दण्ड के भागी होंगे, जो आयोग द्वारा उचित समझा जाएगा।
5. प्रश्न-पत्रों की वितरण होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले परीक्षा-कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. लॉगरिदम टेबल, इलेक्ट्रॉनिक केलकुलेटर आदि केलकुलेटिंग उपकरणों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।
7. उम्मीदवार को पर्यवेक्षक / निरीक्षक द्वारा दिये गये अनुदेशों का अनुपालन करना चाहिए। जो उम्मीदवार पर्यवेक्षक / निरीक्षक या अन्य आयोग द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के कार्य में बाधा डालते हुए पाए जायेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
8. **परीक्षा आरंभ होने के पश्चात् परीक्षा-कक्ष में किसी भी उम्मीदवार के पास मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, पेजर, या अन्य अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक-उपकरण पाया गया जिसे व्यवहार किया हो या नहीं तो यह माना जायेगा कि उम्मीदवार गैर-कानूनी तरीका अपना रहा था, वह दण्ड का भागी होगा जो आयोग द्वारा उचित समझा जायेगा, जिसमें आयोग के भविष्य में होनेवाली परीक्षाओं से तीन वर्ष की अवधि के लिए विलम्बन शामिल है। इन सामग्रियों को परीक्षा केन्द्र में न लायें।**
9. उम्मीदवार अपनी पासपोर्ट आकार के फोटो की दो प्रतियां एवं अपने साथ वोटर आई.डी., पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक अपने साथ अवश्य लायें, जो उनकी फोटो-पहचान दर्शाता हो।
10. उम्मीदवारों को अपने विवरण भरते समय तथा प्रश्नों के उत्तर देते समय ओ.एम.आर. शीट के दोनों तरफ निर्दिष्ट स्थान पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से बन्धनी को भरना होगा।
11. दिनांक 31-12-2016 के रोजगार समाचार में प्रकाशित भर्ती सूचना में दिये गये अनुदेशों को पूर्ण रूप से पढ़ लें तथा ये सब वेबसाइट में भी उपलब्ध है।
12. **यदि उस केंद्र में आयोग वीडियोग्राफी या बायोमेट्रिक करना चाहता है तो उम्मीदवार को फोटो लेने के लिए वीडियोग्राफर के साथ और बायोमेट्रिक के लिए 5 से 10 सेकंड तक बिताना होगा। यह उम्मीदवार की पहचान निश्चित करने, प्रतिरूपण रोकने तथा निष्पक्षता से परीक्षा का संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।**
13. ओ.एम.आर. शीट / उत्तर पुस्तिका पर शुद्धि अथवा सुधार करने के लिए किसी द्रव का इस्तेमाल करना सख्त मना है।
14. ओ.एम.आर. शीट पर चिन्हित प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी।
15. **उम्मीदवार को परीक्षा के दिन पर परीक्षा ड्यूटी के कर्मचारी को तलाशी लेने या आई.डी. प्रूफ या फोटोग्राफ दिखाने में कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए ऐसा न होने पर उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
16. **परीक्षा कक्ष में स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक वॉच और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाना सख्त वर्जित है।**

NOTE: THE ADMISSION IS PROVISIONAL. IF IT IS FOUND LATER ON THAT YOU DO NOT FULFIL ANY OF THE CONDITIONS OF THE ELIGIBILITY, YOUR CANDIDATURE WILL BE CANCELLED AND NO APPEAL AGAINST SUCH CANCELLATION WILL BE ENTERTAINED. YOU ARE THEREFORE ADVISED TO CHECK CAREFULLY AND SATISFY YOURSELF THAT YOU FULFIL ALL THE CONDITIONS OF ELIGIBILITY.

Instructions:

1. The candidate will be admitted to take the examination at the centre specified in the Admission Certificate only and at no other Centre.
2. No candidate will be admitted to the Examination unless he holds a valid Admission Certificate issued by the Commission.
3. No candidate will be admitted to the Examination hall after the commencement of the examination.
4. The candidate should not bring any other paper except the Admission Certificate to the Examination Hall. Candidate found using or attempting to use any unfair means shall be liable to such punishment as the Commission may decide to impose.
5. No candidate would be allowed to leave the Examination Hall before expiry of the prescribed time of the paper.
6. The use of calculating devices including logarithm-table, electronic calculator, etc. is not allowed.
7. Candidates must abide by the instructions given by the Supervisor/Invigilator. Candidature of candidates found obstructing the work of invigilators or representatives of the Commission will be summarily cancelled.
8. **Candidates who are found in possession of Mobile Phone/Cellular Phones/Pagers and other unauthorized electronic gadgets after commencement of the examination inside the Examination Hall whether in use or not will be deemed to have been using unfair means and accordingly be liable to penal action as deemed fit, including cancellation of their candidature and their debarment from future examinations conducted by the S.S.C. for a period of three years. These items must not be brought to Examination Centre.**
9. Candidates should bring with him/her two copies of his/her passport size photograph and any of his/her photo-bearing identity proof in original such as Voter's I.D., Passport, Driving License, PAN, etc.
10. Candidates will have to darken the braces by Blue/Black Ball Point Pen in the specified space on both sides of OMR sheet while filling up their particulars and also answering the questions as per instruction given in OMR sheet.
11. Read thoroughly the instructions given in the Recruitment Notice published in the Employment News dated 31-12-2016 and available in the website.
12. **The candidate will have to spend 5 to 10 seconds with the videographers for taking videos and also for Biometric during the examination if the Commission desires to carry out the videography or biometric in that Centre. This is being done to confirm the identity of the candidate, deter impersonation and also to ensure fairness and impartiality in the conduct of the examination.**
13. **Use of correction fluid on the OMR Sheet / Answer Sheet is strictly prohibited.**
14. Deduction of 0.25 mark will be made for each incorrect answer marked on OMR Sheet.
15. **Candidates should not object for frisking or showing ID proof or photographs to the staff on exam duty on the day of exam failing which they will not be allowed to appear in the exam.**
16. **Smart watches, electronic watches and other electronic gadgets are strictly not allowed in the examination hall.**

Ujjayalaxshini Bidari

क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.)
Regional Director (KKR)